न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज लक्ष्मण ....बनाम........ सुशील मु.नं. 71/24 टी.ए.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	२८/३/२५ पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा ५२ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम १९५५ स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल ~~पत्रावली~~ पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली मूलवाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
71/21	15.07.21	28.03.25

बउनवान

1. लक्ष्मण पुत्र घम्मन, निवासी बनावड, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. प्रहलाद पुत्र घम्मन, निवासी बनावड, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. अशोक कुमार पुत्र घम्मन, निवासी बनावड, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. जगराम पुत्र घम्मन, निवासी बनावड, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. टीकाराम पुत्र घम्मन, निवासी बनावड, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. बत्तूराम पुत्र घम्मन, निवासी बनावड, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. गणगौरी पुत्र घम्मन, निवासी बनावड, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. सुनील कुमार पुत्र मंगतूराम, निवासी बनावड, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. हनुमान पुत्र मंगतूराम, निवासी बनावड, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – ओ.पी. बेनीवाल।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि खसरा सं. 862 रकबा 0.22 हैक्टे., 915 रकबा 0.03 हैक्टे., 916 रकबा 0.34 हैक्टे., 967 रकबा 0.37 कुल किता 4, कुल रकबा 0.96 हैक्टे. वाके ग्राम बनावड, तहसील मण्डावर, जिला दौसा (राज.) में स्थित है जिसके सम्पूर्ण भाग का प्रार्थी सं. 1 खातेदार काश्तकार है। खसरा सं. 1155 रकबा 0.23 हैक्टे., 929 रकबा 0.05 हैक्टे., 930 रकबा 0.26 हैक्टे., 931 रकबा 0.06 हैक्टे., 932 रकबा 0.01 हैक्टे. गैरमुमकिन कुँआ, किता 5, कुल रकबा 0.61 हैक्टे. वाके ग्राम बनावड, तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.) में स्थित है जिसके सम्पूर्ण भाग का प्रार्थी सं. 2 खातेदार काश्तकार है। खसरा सं. 1156 रकबा 0.21 हैक्टे., 926 रकबा 0.37 हैक्टे., किता 2, कुल रकबा 0.58 हैक्टे. वाके ग्राम बनावड, तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.) में स्थित है जिसके प्रार्थी सं. 3 लगायत 7 खातेदार काश्तकार काबिज आराजीयात है। खसरा सं. 915, 916, 926, 929, 930, 931, 932 किता 7 कुल रकबा 1.12 हैक्टे. के खातेदार काश्तकार प्रार्थी हैं, जिन्हें उक्त आराजीयात उनके पूर्वज बीरबल से विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त भूमि के सेटलमेंट से पूर्व साबिक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
71/21	15.07.21	28.03.25

बउनवान

1. लक्ष्मण पुत्र घम्मन, निवासी बनावड, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. प्रहलाद पुत्र घम्मन, निवासी बनावड, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. अशोक कुमार पुत्र घम्मन, निवासी बनावड, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. जगराम पुत्र घम्मन, निवासी बनावड, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. टीकाराम पुत्र घम्मन, निवासी बनावड, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. बत्तूराम पुत्र घम्मन, निवासी बनावड, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. गणगौरी पुत्र घम्मन, निवासी बनावड, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. सुनील कुमार पुत्र मंगतूराम, निवासी बनावड, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. हनुमान पुत्र मंगतूराम, निवासी बनावड, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – ओ.पी. बेनीवाल।

**प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि खसरा सं. 862 रकबा 0.22 हैक्टे., 915 रकबा 0.03 हैक्टे., 916 रकबा 0.34 हैक्टे., 967 रकबा 0.37 कुल किता 4, कुल रकबा 0.96 हैक्टे. वाके ग्राम बनावड, तहसील मण्डावर, जिला दौसा (राज.) में स्थित है जिसके सम्पूर्ण भाग का प्रार्थी सं. 1 खातेदार काश्तकार है। खसरा सं. 1155 रकबा 0.23 हैक्टे., 929 रकबा 0.05 हैक्टे., 930 रकबा 0.26 हैक्टे., 931 रकबा 0.06 हैक्टे., 932 रकबा 0.01 हैक्टे. गैरमुमकिन कुँआ, किता 5, कुल रकबा 0.61 हैक्टे. वाके ग्राम बनावड, तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.) में स्थित है जिसके सम्पूर्ण भाग का प्रार्थी सं. 2 खातेदार काश्तकार है। खसरा सं. 1156 रकबा 0.21 हैक्टे., 926 रकबा 0.37 हैक्टे., किता 2, कुल रकबा 0.58 हैक्टे. वाके ग्राम बनावड, तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.) में स्थित है जिसके प्रार्थी सं. 3 लगायत 7 खातेदार काश्तकार काबिज आराजीयात है। खसरा सं. 915, 916, 926, 929, 930, 931, 932 किता 7 कुल रकबा 1.12 हैक्टे. के खातेदार काश्तकार प्रार्थी हैं, जिन्हें उक्त आराजीयात उनके पूर्वज बीरबल से विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त भूमि के सेटलमेंट से पूर्व साबिक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

खसरा सं. 148 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा था, प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि के लगते ही गैरसायलान 1 लगा. 8 की भूमि आराजी खसरा सं. 927, 928, 933, 935, 936 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा है, जिसका गत खसरा सं. 150 रहा है। सेटलमेंट के दौरान सेटलमेन्ट अधिकारियों ने खसरा सं. 915, 916, 926, 929, 930, 931, 932 कुल रकबा 1.12 हैक्टे. के साबिक खसरा सं. 148 का नया नक्शा बनाते समय पूर्व नक्शे से छोटा कर अप्रार्थीगण की आराजी की तरफ से सायलान की आराजी की तरफ कर दिया जिससे वर्तमान ट्रेस मे पूर्व नक्शा से भिन्न कर दी। सेटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियो ने राजस्व रिकॉर्ड व नक्शों मे हेरा–फेरी अथवा किसी प्रकार का परिवर्तन कर दे व रकबा कम कर दे, खसरा सं. 933, 934, 935, 936 के नक्शों को साबिक खसरा सं. 148 के अनुसार नहीं बनाकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि की तरफ बढ़ा दे, सेटलमेंट अधिकारियो को रकबा कम ज्यादा करने, दूसरे की खाते की भूमि में बढा देने या रकबा एक खातेदार से दूसरे खातेदार के रकबे में मिलाने का कोई अधिकार नहीं था। सेटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की गयी उक्त कार्यवाही अवैध, अमान्य एवं प्रभाव शून्य कार्यवाही है जिसके आधार पर गैरसायलान को कोई अधिकार उत्पन्न नही होते हैं। सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कई नक्शों मे गडबडी के कारण गैरसायलान द्वारा सायलान के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू रहते हैं। दिनांक 01.07.21 को सायलान अपने कब्जे काश्त की आराजी की देखभाल करने गए तो मौके पर गैरसायलान आ धमके और कहा कि आपने हमारी जमीन को दबा रखा है, उसको छोडो। सायलान ने कहा कि हम प्रारम्भ से यही होकर बोते जोते चले आ रहे हैं और आज भी हम उसी जगह पर काबिज काश्त हैं लेकिन गैरसायलान मानने को तैयार नही है और धमकी दी कि हम तुम्हे इस आराजी से बेदखल करके रहेंगे और तहसील मण्डावर से पैमाईश कराकर लाठी के बल से कब्जा करेंगे। यदि गैरसायलान अपनी उक्त धमकियों में सफल हो गए तो प्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकारों से महरूम हो जायेंगे । तब सायलान ने पुराने कागजात की नकल निकलवाने पर उक्त गडबडी का पता चला। इसलिए बिनाय दावा व मुखास्मत पैदा होकर दावा व प्रार्थनापत्र पेश करना लाजिम आया है तथा नक्शे में की गई गडबडी का दुरुस्त कराना आवश्यक हो गया है व गैरसायलान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराना आवश्यक हो गया है। सायलान सेटलमेंट द्वारा की गई नक्शे में गडबडी की उक्त अवैध कार्यवाही को अवैध अमान्य व प्रभावशून्य कार्यवाही घोषित करवाने के व गैरसायलान को पाबंद फरमाये जाने के अधिकारी हैं। अतः अर्ज है कि गैरसायलान को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावे कि वे आराजी खसरा सं. 862, 915, 916, 967, 1155, 929, 930, 931, 932, 1156, 926 जो सायलान के कब्जे काश्त की भूमि में कोई दखलंदाजी पैदा नही करे व सायलान को उक्त जोतने बोने व उपभोग बाधा उत्पन्न नही करें व मौके को यथास्थिति बनाये रखें ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया तथा अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस तामील होने के बाबजूद अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जबाव का अवसर बन्द कर दिया गया। अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.07.21 जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम बनावड, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित खसरा सं. 862, 915, 916, 967, 1155, 929, 930, 931, 932, 1156, 926 में प्रार्थी के हिस्से तक कब्ज़ा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें, राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनायें रखें।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है,

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्रांम बनावड तहसील मण्डावर में स्थित वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी आराजीयात है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र उद्घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के संयुक्त खातेदार है, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण के द्वारा वाद के माध्यम से नक़्शे में दुरुस्ती का अनुतोष चाहा गया है, जिसका निर्णय वादपत्र में साक्ष्य उपरान्त गुणावगुण के आधार पर होना है। वाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान विवादित भूमि के मौके की तथा रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन होने से वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद बढ़ना संभावित है। इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम बनावड, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित विवादित भूमि खसरा सं. 862, 915, 916, 967, 1155, 929, 930, 931, 932, 1156, 926 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 27.07.21 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से तक कब्ज़ा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें, राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 28.03.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)